

(1)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 122 / 15

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 122 / 15

संस्थापन दिनांक-06.04.2015

फाईलिंग नंबर-230303003982015

म0प्र0 राज्य शासन द्वारा :-

पुलिस थाना मालनपुर

वि रु द्ध

---पुनरीक्षणकर्ता

योगेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह कुशवाह उम्र 36 साल

निवासी लल्लूसिंह का पुरा मौजा नौनेरा थाना

मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, जे0एम0एफ0सी गोहद के न्यायालय के प्रकरण  
क्रमांक-354 / 14 इ0फौ0 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2015 से उत्पन्न दाण्डिक  
पुनरीक्षण

पुनरीक्षण कर्ता शासन द्वारा श्री बी0एस0 बघेल अपर लोक अभियोजक  
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

**-:- आ दे श -:-**

(आज दिनांक **15 फरवरी-2016** को पारित किया गया)

1. आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता थाना मालनपुर की ओर से न्यायालय-श्री पंकज शर्मा, जे0एम0एफ0सी गोहद के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-354 / 14 इ0फौ0 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता योगेन्द्रसिंह को धारा-188 भादवि के आरोप से उन्मोचित किया था।

2. पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना प्रभारी मालनपुर को कार्यालय जिला दण्डाधिकारी भिण्ड का एक पत्र क्रमांक-क्यू/निर्वा0/आम/स्के0/2014/692 भिण्ड दिनांक 23.04.2014 प्राप्त हुआ जिसमें लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष संपन्न कराये जाने को जिले के समस्त लायसेन्सधारियों के लायसेन्स निलंबित किये गये थे तथा सभी लायसेन्सधारियों को दिनांक 20.03.14 तक संबंधित थाने में जमा कराये जाने हेतु समय दिया गया था। जिसके पालन में थाना प्रभारी द्वारा सभी लायसेन्सधारियों को उक्त सूचना से अवगत कराया गया। उसके उपरान्त भी कुछ शस्त्र लायसेन्सधारियों द्वारा संबंधित थाने में जमा नहीं कराये थे। जिनमें से अनावेदक योगेन्द्रसिंह द्वारा अपनी रिवॉल्वर 32 बोर की नियत समयावधि में जमा नहीं की अतः आदेश की अवहेलना होने पर अनावेदक के विरुद्ध धारा-188 भादवि का अपराध अप0क्र0-74 / 14 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद में पेश किया गया। तथा आरोप तर्क की स्टेज पर

अनावेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन धारा-195(क) द्रप्रसं का प्रस्तुत कर उसे उन्मुक्त किये जाने बाबत पेश किया जिसे स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे धारा-188 भादवि से उन्मुक्त कर दिया।

3. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त पुनरीक्षण इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 06.05.14 को अभियोग पत्र पेश होने पर आरोपी के विरुद्ध धारा-190 द्रप्रसं के अंतर्गत प्रकरण में संज्ञान लिया गया था। ऐसी स्थिति में एक बार संज्ञान न्यायालय द्वारा ले लिये जाने पर उसप्रकरण का निराकरण कानून गुणदोष के आधार पर ही किया जा सकेगा। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में संज्ञान लेने के बाद पुनरावलोकन की शक्तियों का प्रकरण के निराकरण हेतु उपयोग किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। आरोपी के विरुद्ध धारा-188 भादवि के साथ साथ धारा-25(1-ख)(ज) आर्म्स एक्ट का भी संज्ञान लिया जाना था क्योंकि प्रकरण में आरोपी द्वारा उपरोक्त अपराध घटित होना पाया गया था। प्रत्येक संज्ञेय अपराध में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार है। आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर आरोपी द्वारा प्रस्तुत सामग्री एवं दस्तावेजों को उसके बचाव के लिये उपयोग में नहीं लिया जा सकता। अपितु अभियोजन द्वारा धारा-173 द्रप्रसं के तहत जो अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे ही विचार में लिया जाता है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.2015 निरस्त किया जाकर अनावेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

4. उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

- 1- क्या प्रकरण क्रमांक-354/14 इ0फौ0 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2015 अवैध अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?

--- निष्कर्ष के आधार ---

5. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अपने तर्कों में यह बताया गया है कि प्रतिपरीक्षणकर्ता के द्वारा जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के द्वारा दिनांक 24.03.14 को लोकसभा निर्वाचन 2014 के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराये जाने के अनुक्रम में सभी लायसेन्सधारियों के शस्त्र निलंबित किये जाकर उन्हें संबंधित आरक्षी केन्द्र में दिनांक 20.03.14 तक जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उल्लंघन की दशा में धारा-188 भादवि के तहत कार्यवाही किये जाने का भी निर्देश दिया गया था। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अपनी 312 बोर की लायसेन्सी रिवॉल्वर जिसका शस्त्रलायसेन्स निलंबित किया गया था। वह आदेश के पालन में आरक्षी केन्द्र मालनपुर में जमा नहीं की गई। जिसके संबंध में मौखिक सूचना भी कोर्टवार के माध्यम से शस्त्र लायसेन्सधारी को दी गई थी। जिसमें दिनांक 27.03.14 तक शस्त्र जमा कराये जाने थे। जिसका भी प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने कोई पालन नहीं किया। जिससे थाना मालनपुर में धारा 188 भादवि के तहत अप0क्र0-74/14 प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें आरोप तर्क के स्तर पर प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत किये गये धारा-195(क)द्रप्रसं का आवेदन पत्र पेश होने पर उसकी सुनवाई करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता को पंजीबद्ध अपराध से उन्मुक्त किये जाने का विधि विरुद्ध

आदेश पारित किया गया है क्योंकि दफ़्तर में जे०एम०एफ०सी० न्यायालय को अपने ही आदेश का पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है और उक्त मामले में दिनांक 06.05.14 को को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर से धारा-190 दफ़्तर के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है इसलिये एक बार संज्ञान हो जाने के पश्चात और पुनरावलोकन की शक्ति न होने से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अवैध होकर निरस्ती योग्य है। साथ ही प्रतिपुनरीक्षणकर्ता का अपराध आयुध अधिनियम की धारा-25(1-ख)(ज) के तहत भी संज्ञान लिये जाने योग्य मामला था और उसके लिये परिवाद प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः आलोच्य आदेश अपास्त कर आरोप विरचित किये जाने और विचारण किये जाने हेतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

6. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान ए०जी०पी० के तर्कों का खण्डन करते हुए मूलतः यह तर्क किया गया है कि आरक्षी केन्द्र मालनपुर में अप०क्र०-74/14 धारा -188 भादवि के अंतर्गत ही पंजीबद्ध किया गया था। आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं किया गया था। इसलिये आयुध अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिये जाने का मामला नहीं बनता है। न ही अभियोग पत्र आयुध अधिनियम के किसी अपराध के तहत पेश किया गया। इसलिये पुनरीक्षणकर्ता के माध्यम से अपराध की वृद्धि नहीं की जा सकती है। और धारा-188 भादवि के अपराध पर से केवल सक्षम अधिकारी के लिखित परिवाद पर से ही संज्ञान लिया जा सकता है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है और उसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से सव्यय निरस्त की जावे। तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एम०पी० एवं अन्य विरुद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया 2014 (1) जे०एल०जे० पेज-326** को प्रस्तुत किया गया है।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण की पत्रावली और उसमें संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आरक्षी केन्द्र मालनपुर द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध दिनांक 28.03.14 को अप०क्र०-74/14 धारा-188 भादवि का अपराध थाना प्रभारी मालनपुर द्वारा कार्यालय जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के पत्र क्रमांक-क्यू/निर्वाचन/आम स्के०/2014/692 भिण्ड दिनांक 24.03.14 के आधार पर पंजीबद्ध करते हुए प्रतिपुनरीक्षण कर्ता द्वारा लायसेन्सी 32 बोर की रिवॉल्वर दिनांक 27.03.14 तक जमा न किये जाने के आधार पर जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के उक्त आदेश के उल्लंघन के आधार पर धारा-188 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर उसे विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र के रूप में दिनांक 06.05.14 को पेश किया गया था। दिनांक 06.05.14 को जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री एस०के० तिवारी द्वारा धारा-190 दफ़्तर के तहत पंजीबद्ध किया गया। आरोप तर्क के प्रक्रम पर प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/आरोपी योगेन्द्रसिंह कुशवाह की ओर से धारा-195(1-क) दफ़्तर के तहत पेश किये गये आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए दिनांक 07.02.15 को उक्त आलोच्य आदेश पारित करते हुए इस आशय का निष्कर्ष दिया कि धारा-188 भादवि के तहत अपराध का संज्ञान संबद्ध लोकसेवक स्वयं या किसी अन्य ऐसे लोकसेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, के लिखित परिवाद पर ही किया जा सकता है। और हस्तगत प्रकरण ऐसे लिखित परिवाद पर जिला दण्डाधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक के द्वारा न किये जाने से अपराध का संज्ञान नहीं हो सकता है इसलिये धारा-195 (1-क) दफ़्तर का आवेदन स्वीकार करते हुए धारा-258 दफ़्तर के अंतर्गत प्रकरण की कार्यवाही रोकते हुए प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/आरोपी को छोड़ा गया।

8. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से मूल आपत्ति इस बात की ली गई है कि दिनांक 06.05.14 को धारा-190 दफ़्तार के अंतर्गत संज्ञान ले लिया गया इसलिये उससे अन्यथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नहीं जा सकता है। प्रकरण में संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता राज्य की ओर से प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/आरोपी के विरुद्ध कोई लिखित परिवाद नहीं किया गया है बल्कि धारा-154 दफ़्तार के तहत एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध करते हुए भादवि के अन्य अपराधों की विवेचना कर उसका अभियोग पत्र पेश किया गया।

9. धारा-188 भादवि के अनुसार— **लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा—** जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिये विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिये या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिये निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम, कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दोसौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, या क्षेम को संकट कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बल्वा, या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजा रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण:—** यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने में अपहानि होना संभाव्य है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

10. धारा-195 के मुताबिक— **लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिये और साक्ष्य में दिये गये दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिये लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिये अभियोजन—** (1) कोई न्यायालय—

(क) (i) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा-172 से धारा-188 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं) अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, अथवा

(ii) ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का, अथवा

(iii) ऐसा अपराध करने के लिये किसी आपराधिक षड्यंत्र का, संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं,

(ख) (i) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं अर्थात् 193 से 196 (जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं) 199, 200, 205, 193 से 196 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं) 199, 200, 205 से 211 (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं) और 228 में से किन्हीं के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है, अथवा

(ii) उसी संहिता की धारा-463 में वर्णित या धारा 471, धारा-475 या धारा-476 के अधीन दण्डनीय अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई साक्ष्य में दी गई किसी दस्तावेज के बारे में किया गया है, अथवा



(iii) उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिये संज्ञान ऐसे न्यायालय के या ऐसे न्यायालय के ऐसे अधिकारी यथा वह न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे, के द्वारा या किसी अन्य न्यायालय के, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहाँ किसी लोक सेवक द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कोई परिवाद किया गया है वहाँ ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, उस परिवाद को वापिस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

परन्तु ऐसे वापिस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जायेगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में 'न्यायालय' शब्द से कोई सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है यदि वह उस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है।

(4) उपधारा(1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई न्यायालय उस न्यायालय के जिनमें ऐसे पूर्वकथित न्यायालय की अपीलनीय डिक्रियों या दण्डादेशों की साधारणतया अपील होती है, अधीनस्थ समझा जावेगा या ऐसा सिविल न्यायालय, जिसकी डिक्रियों की साधारणतया कोई अपील नहीं होती है, उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जावेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है,

परन्तु,

(क) जहाँ अपीलें एक से अधिक न्यायालय में होती हैं वहाँ अवर अधिकारिता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जावेगा,

(ख) जहाँ अपीलें सिविल न्यायालय में और राजस्व न्यायालय में भी होती हैं वहाँ ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्यवाही के स्वरूप के अनुसार, जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ समझा जावेगा।

10. इस प्रकार से उक्त धारा-195 (1-क) (ii) व (iii) के प्रावधानों को देखते हुए धारा-188 भादवि के अपराध का संबद्ध लोक सेवक या उसके प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ किसी अन्य लोक सेवक के लिखित परिवाद पर ही संज्ञान हो सकता है और विचाराधीन मामले में कोई लिखित परिवाद न होने से प्रतिपरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त हस्तगत मामले में प्रायोज्य किये जाने योग्य हैं। जिसमें भी धारा-188 भादवि के अपराध का संज्ञान वगैर लिखित परिवाद के किया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधिसम्मत नहीं माना था। और धारा-195 दप्रसं के उपबंधों के तहत कार्यवाही समाप्त की गई थी। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.15 के माध्यम से धारा-188 भादवि के अपराध का लिखित परिवाद न होने से संज्ञान न लेकर कार्यवाही समाप्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। न ही आदेश में कोई अनियमितता प्रकट होती है। और आलोच्य आदेश ऐसी स्थिति में औचित्यहीन भी नहीं कहा जा सकता है।

11. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह आधार लिया गया है कि मामले में दिनांक 06.05.14 को संज्ञान हो चुका था और उससे अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नहीं जा सकता था। यह इस आधार पर मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि मामले का कोई विचारण प्रारंभ नहीं

हुआ था बल्कि मामला आरोप के स्तर पर था। तब प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से धारा-95 (1-क) दफ़्तर की प्रार्थना की गई थी इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय संज्ञान लेने के अपने आदेश का ही आलोच्य आदेश मुताबिक पुनरावलोकन करके कोई अवैधानिक कार्यवाही की गई है।

12. पुनरीक्षणकर्ता का यह आधार भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि मामले में धारा-25 (1-ख) (ज) आयुध अधिनियम 1959 का भी संज्ञान लिया जाना था क्योंकि आयुध अधिनियम के उक्त प्रावधान में धारा-3 की उपधारा-2 या धारा-21 की उपधारा-1 के द्वारा अपेक्षित रूप से आयुधों या गोला बारूद को निक्षिप्त करने में असफल रहने संबंधी प्रावधान है और धारा-3 के उल्लंघन के लिये आयुध अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है। इसलिये उक्त आधार भी नहीं लिया जा सकता है। यदि शस्त्र लायसेन्स की शर्त के उल्लंघन के आधार पर आयुध अधिनियम की धारा-30 के संज्ञान की बात कही जाये तो उसके लिये भी कोई अनुसंधान नहीं किया गया है न ही अभियोग पत्र आयुध अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया और न ही धारा-195 (1-क) दफ़्तर के आवेदन पत्र के जवाब में पुनरीक्षणकर्ता/राज्य की ओर से आयुध अधिनियम के तहत किसी अपराध के संज्ञान की कोई प्रार्थना की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण याचिका कतई सद्भावना पूर्ण होकर स्वीकार योग्य नहीं है और आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है।

13. फलतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधिपूर्ण प्रतीत न होने से पुनरीक्षण याचिका सारहीन मानते हुए निरस्त की जाकर आलोच्य आदेश की यथावत पुष्टि की जाती है।

14. जप्तशुदा बारह बोर रिवॉल्वर के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जाता है।

**दिनांक – 15.02.16**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड